राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

दिनांक 27 मई, 2020

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 23092

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में विभिन्न उपखण्ड़ क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से नागरिकों में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के निम्न आदेश से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत** निम्नांकित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागु कर उस क्षेत्र को Zero Mobility & Containment Area **(लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र) घोषित किया गया हैं।**

जिले के निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने एवं दिनांक 25 मई 2020 को उक्त क्षेत्र के संक्रमित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होने के उपरान्त मुक्त किये जाने से निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के निम्न Zero Mobility & Containment क्षेत्रों में लागू **सख्त निषेधाज्ञा को** तत्काल प्रभाव से **प्रत्याहरित करता** हूं :–

क्र.सं.	आदेश क्रमांक, दिनांक	नाम उपखण्ड़	जीरो मोबिलिटी ऐरिया
1.	क्रमांक – 22952 दि0 – 16.05.2020	रायपुर	उपखण्ड़ क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत बागड़ के **ग्राम जलामली** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
2.	क्रमांक – 22965 दि0 – 18.05.2020		उपखण्ड़ क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत खांखरमाला **के ग्राम आसुणा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
3.	क्रमांक – 22966 दि0 – 18.05.2020	गंगापुर	उपखण्ड़ क्षेत्र गंगापुर की ग्राम पंचायत अरनिया **के ग्राम आलोली** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
4.	क्रमांक – 22952 दि0 – 16.05.2020	माण्ड़ल	उपखण्ड़ मुख्यालय माण्ड़ल पर स्थित **तालाब की पाल के समीप वर्णित** सम्पूर्ण क्षेत्र में
5.	क्रमांक – 22910 दि0 – 09.05.2020	करेड़ा	उपखण्ड़ क्षेत्र करेड़ा की ग्राम पंचायत सेहणुदा के **ग्राम भीलों का बाड़ा** की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
6.	क्रमांक – 22968 दि0 – 18.05.2020	भीलवाड़ा मुख्यालय	भीलवाड़ा शहर के बापू नगर में वर्णित सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में

यह आदेश आज दिनांक 27 मई 2020 को प्रातः 11.00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया हैं।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर

.... 2

Scanned with CamScanner

03. संभागीय आयुक्त, अजमेर

04. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर

05. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान

06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।

07. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा

08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा

09. उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, गंगापुर, रायपुर, करेड़ा एवं माण्ड़ल को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें साथ ही स्थानीय स्तर पर सर्व संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौके पर ही उपलब्धता बाबत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

10. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।

12. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

13. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

Scanned with CamScanner